जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
प्रथम तल, विद्युत भवन–2, बेली रोड, पटना–800 021, दूरभाष :+91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.brlp.in

पत्रांक : BRLPS/Proj-HAN/1159/17/5102 दिनांक : 07.03.2020

कार्यालय आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या - BRLPS/Proj-HN/1159/17/1122, दिनांक – 05.07.18 के द्वारा स्वच्छ जीविका – स्वच्छ बिहार अभियान पुरे बिहार में क्रियान्वित किया गया, जिसमे जीविका के सभी सामुदायिक संगठनो, कैडरों और कर्मियों ने लोगो का व्यव्हार परिवर्तित करने के लिए व्यापक सामुदायिक उत्प्रेरक अभियान चलाया | इस अभियान में Community Mobilizer को स्वछाग्रही के रूप नामित भी किया गया था | Community Mobilizer के द्वारा शौचालय का भौतिक सत्यापन और VO के सदस्य द्वारा अभिप्रमाणित IHHL फॉर्म को शौचालय का प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु अंतिम सत्यापन माना गया | इस अभियान में Community Mobilizer को स्वछाग्रही के रूप में 100/- प्रति शौचालय की दर से प्रोत्साहन राशि के साथ-साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौपी गयी थी | Community Mobilizer ने इस अभियान में शौचालय विहीन समूह के दीदियो और उनके परिवार के लोगो का व्यव्हार बदलने तथा शौचालय का प्रोत्साहन राशि दिलाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसके कारण बिहार का स्वच्छता आच्छादन स्थिति में वृद्धि हुई | वर्णित कार्यालय आदेश के अनुसार Community Mobilizer को 100/- प्रति शौचालय की दर से प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया था लेकिन इसकी प्रगति अधिकांशत: जिलों में बहुत ही धीमी या नगण्य है |

Community Mobilizer को शौचालय की प्रोत्साहन राशि भुगतान जिन जिलों द्वारा अभी तक नहीं हुआ है वे इसमें तेजी लाने हेतु निम्नलिखित प्रावधानों का पालन कर भुगतान करने का आदेश दिए जाते है –

1. राज्य मुख्यालय से ई-मेल के द्वारा बिहार के सभी जिलों के सभी प्रखंडो का SBM-G IMIS में प्रविष्ट लाभार्थियों के नाम की सूचि (2017 से 2020 तक) जिलों को उपलब्ध कराया जा चूका है, जिसमे लाभार्थी के अन्य विवरणी के साथ – साथ **SBM ID** और शौचालय का **Geo tagging** की स्थिति भी उपलब्ध है |
2. Community Mobilizer द्वारा स्वच्छ जीविका स्वच्छ बिहार अभियान के दौरान जीविका दीदियों को अभिप्रेरित कर स्वयं से शौचालय का निर्माण, शौचालय का सत्यापन (VO द्वारा) और विहित प्रपत्र में IHHL form जमा किया गया था | वर्णित कार्यालय आदेश में IHHL form को BDO कार्यालय भेजने से पूर्व BPIU स्तर पर मास्टर रजिस्टर में रखने का निदेश दिया गया था |
3. **BPIU स्तर पर** राज्य मुख्यालय से उपलब्ध कराये गए SBM-G IMIS में प्रविष्ट लाभार्थियों की सूचि और Community Mobilizer द्वारा जमा किये गए IHHL प्रपत्र का मास्टर सूचि से दोनों का मिलान किया जायेगा | मिलान के दौरान पति या पत्नी या घर के मुखिया का नाम (इनमें से कोई भी) का मिलान करेंगे |

4. इस मद में Double भुगतान न हो इसके लिए मिलान किये गए लाभार्थियों की सूचि को सम्बंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ साझा किया जायेगा | प्रखंड विकास पदाधिकारी दो सप्ताह के अन्दर प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध अधतन स्वछाग्रही भुगतान सूचि से पुष्टि कराकर जीविका को समर्पित करेंगे | यदि जीविका द्वारा दिए गए लाभार्थी सूचि के विरुद्ध स्वछाग्रही को प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हुआ है तो उसका भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं करेंगे | प्रखंड विकास पदाधिकारी से पुष्टि के उपरांत जिस लाभार्थी के विरुद्ध प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हुआ है उसी के आधार पर Community Mobilizer का प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु Community Mobilizer वार इंडेंट तैयार किया जायेगा | इसके बाद DPCU/BPIU स्तर से जीविका के अंतर्गत उपलब्ध निधि से Community Mobilzer का प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा |
5. इसमें जीविका के वित्तीय नार्म्स / प्रोक्योरमेंट निति के प्रावधान ही इन व्ययों हेतु यथास्थिति लागू होगी | भुगतान के उपरांत सम्बंधित जिला स्तर के व्यय को संकलित करते हुए समेकित रूप से वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी के साथ दावा भेजेंगे जिसके आधार पर वास्तविक व्यय को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत लेखांकित करते हुए व्यय जिलावार व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी | व्यय-विवरणी / दावा प्रपत्र कार्यालय आदेश संख्या - BRLPS/LSBA/Acctts/64/18/305, दिनांक – 19.07.18 में संलग्न कर आपको प्रेषित की गयी है |

अतः आप सभी को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त प्रावधानों का पालन करते हुए Community Mobiliser का प्रोत्साहन राशि का भुगतान चालू एवं आगामी वित्तीय वर्ष (2020 – 21) तक में संपन्न करा लेना होगा |

विश्वासभाजन

(बालामुरुगन डी.)

ज्ञापांक:- BRLPS/Proj-HAN/1159/17/5102 दिनांक – 07.03.2020

प्रतिलिपि: सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक/ जिला वित्त प्रबंधक/ जिला स्वास्थ्य और पोषण प्रबंधक, जीविका को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित |

प्रतिलिपि: सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित |

प्रतिलिपि: सभी परियोजना समन्वयक/ राज्य परियोजना प्रबंधक/ राज्य वित्त प्रबंधक-LSBA को सूचनार्थ प्रेषित |

प्रतिलिपि: मुख्य वित्त पदाधिकारी/ प्रशासी पदाधिकारी-सह-राज्य समन्वयक, LSBA/ विशेष कार्य पदाधिकारी/ निदेशक, जीविका को सूचनार्थ प्रेषित |

(बालामुरुगन डी.)